

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार - T.A Misc case no. 15 /2017-18आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख के साथ

02/11/17

आवेदक/आवेदिका जमल मन्नी
 पिता/पति विजय मन्नी अ०जाति/अ०ज०जाति/अ०पि०
 वर्ग/उपजाति सिंघना चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर राजस्व थाना-चक्रधरपुर, अंचल
 चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम ने क्रेता विजय उरव
 पिता- विजयनाथ उरव अ०जाति/अ०ज०जाति/अ०पि० वर्ग/उपजाति
उरव के अन्तर्गत ग्राम- जोतडाडा थाना-चक्रधरपुर/राजस्व थाना-
चक्रधरपुर, अंचल- चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास जमीन
 विक्री/भू-हस्तान्तरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)
 प्रोभिजो "ए" के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। जमीन का विवरण
 है -

मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
पडिना-16	68	चक्रधरपुर	30	61	0.05570

आवेदक को शांति आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि
 का रकबा 0.05570 का कुल कीमत 3,80,000/- रुपये मात्र
 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए" के अन्तर्गत
 बिक्री करना चाहते हैं।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन
 स्पष्ट मन्तव्य सहित दिनांक 18.11.17 तक मांग करें।

अभिलेख दिनांक 18.11.17 को उपस्थित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

10.2.18

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोविजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

Devi
10-2-18

भूमि सुधार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।